Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ करौली में जयपुर डिस्कॉम, हिण्डौन सिटी के टेक्नीशियन प्रथम (सहायक स्टोर कीपर) 8,000/– रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 22 सितम्बर, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. इकाई करौली द्वारा आज कार्रवाई करते हुए **जगदीश बैरवा, टैक्निशियन प्रथम (सहायक स्टोर कीपर), कार्यालय सहायक अभियन्ता ए–द्वितीय, जयपुर डिस्कॉम, हिण्डौन सिटी, जिला करौली** को परिवादी के जले हुए विद्युत ट्रांसफार्मर के स्थान पर नया ट्रांसफार्मर स्टोर से उपलब्ध करवाने की एवज में स्वयं के लिए **8,000/– रुपये** रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी करौली को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी के विद्युत ट्रांसफार्मर के जल जाने पर उसे जमा कराने के बाद नया ट्रांसफार्मर स्टोर से देने की एवज में आरोपी द्वारा 9,000/– रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है। शिकायत के सत्यापन के दौरान रिश्वत मांग की पुष्टि होने पर ट्रैप कार्रवाई की गई।

जिस पर ए.सी.बी. भरतपुर रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री ओमप्रकाश मीणा** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. करौली के **श्री जगदीश भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक** के नेतृत्व में ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी जगदीश बैरवा को परिवादी को ए.ई.एन. कार्यालय परिसर में बुलाकर 8,000/– रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। प्राप्त रिश्वत राशि आरोपी के कब्जे से उसकी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी ओर की जेब से बरामद की गई।

ए.सी.बी. की **अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक पुलिस श्रीमती एस. परिमाला** के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। ए.सी.बी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

–किसी व्यक्ति के विरुद्ध ए.सी.बी. में प्रकरण (अभियोग, प्राथमिक जांच, परिवाद आदि) दर्ज होने पर संबंधित व्यक्ति ए.सी.बी. से सीधे संपर्क कर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तुत स्पष्टीकरण का ए.सी.बी. द्वारा विस्तृत विश्लेषण एवं परीक्षण किए जाने के उपरांत ही अनुसंधान में निर्णय लिया जाना ए.सी.बी. की कार्यप्रणाली का हिस्सा है।

यह जानकारी ए.सी.बी. के नाम/डर का दुरुपयोग कर होने वाली धोखाधड़ी आदि का शिकार होने की संभावना के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **टोल फ्री नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाईन नम्बर 94135–02834 पर 24X7** सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।